न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/310

शान्ति बाई आयु 60 साल पत्नी रामकुंवार जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारॉ तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू लाल आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क)।
2. नन्दकिशोर आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
3. पन्नी बेवा रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
4. देव्या आत्मज सावला जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
5. मथरी पुत्री सावला जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
6. गीता बाई पत्नी कैलाश चन्द जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन गौत्तम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कुलदीप गौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 06 की ओर से ।

दिनांक: 22.09.2022

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खडीबारा तहसील व जिला बून्दी में खतौनी संख्या नयी 21 की खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम बीरमपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खतौनी संख्या नयी 64 की कृषि

भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 108/267 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.64 हैक्टर कुल 06 किता की रकबा 3.25 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 01 लगायत 03 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवारे में वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि हिस्से व कब्जे में आई है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज था व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कम 4 व 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था । वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 को पारिवारिक मौखिक बंटवारा लगभग 30 वर्ष पूर्व हुआ था उसी के अनुसार ग्राम खडीबारा की आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 काश्त नहीं करते हैं । उक्त भूमि को प्रतिवादीगण 4 व 5 को आपसी बंटवारे में दे रखी है जिस पर वो काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि जिस पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था । उक्त भूमि को प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.2004 को वादिनी को बेचान कर कब्जा संभला दिया जिस पर वह काबिज काश्त चली आ रही है । प्रतिवादीगण कम 4 व 5 का हिसस 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था परन्तु प्रतिवादीगण पारिवारिक मौखिक बंटवारे के अनुसार 30 वर्षो से काबिज काश्त निरन्तर निर्विवाद होने से उक्त भूमि 1/2 हिस्से के कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके थे । इसी आधार पर प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 ने अपने कब्जे में व पारिवारिक मौखिक बंटवारे में प्राप्त भूमि को एक बेचानामा दिनांक 10.05.2004 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन किया था । उसी दिन वादिनी के पक्ष में 3,72,417/– रूपये के प्रतिफल स्वरूप बेचान कर दिनांक 10.05.2004 को वादिनी के पक्ष के निष्पादित कर दिया। प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के हिस्से में पारिवारिक मौखिक विभाजन प्राप्त भूमि पर प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 सन् 2004 से काबिज काश्त चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के खातेदार बन चुके हैं । प्रतिवादीगण कम 4 व 5 द्वारा बदयान्तिपूर्वक अपने पारिवारिक बंटवारे के बदलते हुए गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी कम 06 गीता बाई को 122 हिस्सा बेचान कर दिया है । उक्त बेचान प्रारम्भ से ही शून्य होने से वादिनी के हक व अधिकार में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर जिस पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कंम 06 का नाम दर्ज है पर वादिनी को खातेदार घोषित करावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 06 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है पर वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 06 का नाम विलोपित कर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा जबरन ताकत

के बल पर उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 04 व 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 06 ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी द्वारा स्टाम्प बेचाननामा दिनांक 10.05.2004 के आधार पर खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल 09 बीघा 01 बिस्वा में से प्रतिवादी कम 06 के हिस्से 1/2 पर से प्रतिवादी कम 06 का नाम विलोपित कर वादिनी को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है । प्रतिवादी संख्या 06 के उक्त भूमि में से प्रतिवादी देव्या, मथरी का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2009 को क्रय किया है जिसका वाद नामान्तरकरण प्रतिवादी कम 06 के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है । जबकि वादिनी ने केवल बेचाननामा स्टाम्प दिनांक 10.05.2004 के अधार पर उक्त वादपत्र प्रस्तुत कर हक घोषणा का अनुतोष चाहा है । वादिनी द्वारा बेचाननामा स्टाम्प 10.05.2004 के आधार पर उक्त वाद न्याालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि वादिनी ने स्टाम्प शुल्क बचाने की नियत से उक्त वाद सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया । वादिनी को स्टाम्प शर्तो की पालना करने हेतु विशिष्ट संविदा की अनुपालना का वाद पत्र सिविल न्यायालय में पेश करना चाहिए अथवा रजिस्ट्री निरस्त करने का वाद सक्षम दीवानी न्यायालय में पेश करना चाहिए । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.04.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2017 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 08.06.2009 को वाद प्रस्तुत किया था जिसमें नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं कार्यवाहियॉ हुई । वाद को चलते हुए 07 वर्ष 10 माह हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त वाद की सुनवाई गुणावगुण के आधार पर सम्पूर्ण साक्ष्य लेकर ही करनी चाहिए थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी कम 06

द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था । जवाबदावा प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी संख्या 06 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर वाद वादिनी खारिज कर दिया । प्रतिवादी कम 06 ने उक्त प्रार्थना में कथन किया था कि वादिनी का वाद सिविल प्रकृति का होने से न्यायालय को वाद के श्रवणाधिकार नहीं है । प्रतिवादी कम 06 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो प्रश्न उठाये हैं वे सब साक्ष्य के उपरान्त ही तय होने हैं । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा किये गये बेचान दिनांक 10.05.2004 से ही उक्त भूमि पर वादिनी अपीलान्ट काबिज काश्त चली आ रही है । वादिनी ने अपने वादपत्र में जो अभिवचन किये हैं जिसके आधार पर श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है । घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद का श्रवणाधिकार माननीय राजस्व न्यायालय के क्षेत्र का है एंव सिविल न्यायालय को 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम श्रवणाधिकार से बाहर करता है । इन कानूनी बिन्दुओं व तथ्यों पर परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं कर वाद को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए केवल दावे में किये गये अभिवचनों का ही अवलोकन किया जा सकता है । वादपत्र के अनुसार दावा अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवण योग्य था । वादकारण का प्रश्न साक्ष्य का प्रश्न होने से इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता । गलत रूप से वादकारण पैदा होना नहीं माना गया है । अपीलान्ट ने क्लीन हैण्ड से अपने अधिकारों की घोषणा के लिए न्यायालय में दावा पेश किया है । किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा खारिज किया है जबकि आदेश 07 नियम 11 में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के दस्तावेजात नहीं देखे जा सकते । वादकारण Mixed Question of facts and law होता है जो साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है । कॉज ऑफ एक्सन दावे में मौजूद है । प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि वादीगण द्वारा जिन तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है वह साक्ष्य एवं गवाहान के बयान आदि लिये जाकर ही निष्कर्ष पारित किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय को दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 14.07.2012 पेज 454, आरआरडी 2013 पेज 01, आरआरडी 14.06.2013 पेज 369 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 के मध्य किसी भी प्रकार का मौखिक बंटवारा नहीं हआ और न ही प्रतिवादीगण आपस में किसी भी ग्राम में भूमि का फेरबदल नहीं किया है बल्कि अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे । प्रतिवादी कम 4 व 5 के द्वारा अपना हिस्से की कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बेचान किया जा चुका है और बेचान के आधार पर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 06 के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । वादिनी द्वारा स्टाम्प बेचाननामा दिनांक 10.05.2004 के आधार पर खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल 09 बीघा 01 बिस्वा में से प्रतिवादी कम 06 के हिस्से 1/2 पर से प्रतिवादी कम 06 का नाम विलोपित कर वादिनी

को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है । प्रतिवादी संख्या 06 के उक्त भूमि में से प्रतिवादी देव्या, मथरी का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2009 को क्रय किया है जिसका वाद नामान्तरकरण प्रतिवादी कम 06 के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है । जबकि वादिनी ने केवल बेचाननामा स्टाम्प दिनांक 10.05.2004 के अधार पर उक्त वादपत्र प्रस्तुत कर हक घोषणा का अनुतोष चाहा है । वादिनी द्वारा बेचाननामा स्टाम्प 10.05.2004 के आधार पर उक्त वाद न्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि वादिनी ने स्टाम्प शुल्क बचाने की नियत से उक्त वाद सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया । वादिनी को स्टाम्प शर्तो की पालना करने हेतु विशिष्ट संविदा की अनुपालना का वाद पत्र सिविल न्यायालय में पेश करना चाहिए अथवा रजिस्ट्री निरस्त करने का वाद सक्षम दीवानी न्यायालय में पेश करना चाहिए । वादिनी अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.0217 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1100, आरआरडी 2009 पेज 750, आरआरडी 2002 पेज 582, डीएनजे 2020 (3) पेज 849–850, डीएनजे 2020 पेज 782, डीएनजे 2020 (3) पेज 959, आरआरटी 2016 (1) पेज 723, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 पेज 447 से 449 पेश किया है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का सम्मपूर्वक अवलोकन किया । वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत । वादिनी के वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी कम 06 रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा पेश किया । तत्पश्चात् आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश पर वादकारण नहीं होने के आधार पर वाद वादिनी खारिज करने का कथन किया ।

12. हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत हक घोषणा का वाद सुनने का अधिकार नहीं है, परन्तु यहॉ हमारे समक्ष निम्न तथ्य एवं विधिक बिन्दु जिनके विवेचन के आधार पर निर्णय किया जाना उचित होगा :–

(I) ग्राम खडीबारा की सवंत् 2065 से 2068 से पूर्व की ऐसी कोई जमाबन्दी अथवा राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिसमें रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 का खातेदारी में हिस्सा 1/2 पर नाम अंकित हो अथवा वादिनी अपीलान्ट को विक्रय किये जाने का अंकन हो, अपितु वादिनी अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.05.2004 से रेस्पोडेन्ट कम संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/2 क्रय किये जाने का उल्लेख है जिसके अनुसार ही संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 ग्राम खडीबारां में वादिनी अपीलान्ट हिस्सा 1/2 की खातेदार दर्ज की गई होगी । शेष हिस्सा 1/2 पर नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 16.02.2009 से जरिये विक्रय खातेदार देव्या पुत्र सांवला व मथरी पुत्री सांवला के स्थान पर केता गीता बाई पत्नी कैलाश चन्द हिस्सा 1/2 का नाम दर्ज

रिकॉर्ड होने के सम्बन्ध में नोट अंकित है । प्रतिवादी कम 4 व 5 के द्वारा अपना हिस्से की कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बेचान किया जा चुका है और बेचान के आधार पर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 06 के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । उक्त पंजीबद्ध विकय पत्र को निरस्त कराने के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय में वाद दायर होना जानकारी में नहीं आया है।

(ii) वादिनी अपीलान्ट द्वारा अपंजीकृत विकय पत्र दिनांक 10.05.2004 के आधार पर रेस्पोडेन्ट कम संख्या 04 व 05 के हिस्सा 1/2 के स्थान पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि उक्त अपंजीकृत बेचाननामा पर मूल सहखातेदारान रेस्पोडेन्ट कम सख्या 4 व 5 के हस्ताक्षर तक नहीं होकर, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 द्वारा हस्ताक्षरित है जो कि उक्त आराजी में अपना हिस्सा 1/2 पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 10.05.2004 से वादिनी अपीलान्ट को बेचान किये जाने के पश्चात् शेष बचे हिस्सा 1/2 की खातेदारी में अधिकार नहीं रखते हैं, इस प्रकार बिना खातेदारी अधिकार के उक्त अपंजीकृत बेचाननामे का विधि की दृष्टि में कोई औचित्य नहीं है ।

(iii) अपंजीकृत बेचाननामे दिनांक 10.05.2004 के अनुसार पारिवारिक मौखिक बंटवारे में रेस्पोडेन्ट कम संख्या 4 व 5 के हिस्से 1/2 भूमि पर 30 वर्षों से कब्जा काश्त होने से कब्जा मुखालाफाना के आधार पर सहखातेदार की भूमि को बेचने का कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 को प्राप्त नहीं था । यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि सहखातेदार के विरूद्ध कब्जा मुखालफाना के आधार पर कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होते ।

13. उपर्युक्त तथ्यों एवं विधि के विवेचन से स्पष्ट है कि वादिनी ने केवल अपंजीकृत बेचाननामा दिनांक 10.05.2004, जिस पर प्रतिवादी कम संख्या 4 व 5 के हस्ताक्षर तक नहीं हैं, के अधार पर उक्त वादपत्र प्रस्तुत कर हक घोषणा का अनुतोष चाहा है जो विधि सम्मत नहीं है । उक्त दस्तावेज के आधार पर एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादिनी अपीलान्ट हक घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादिनी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वाद का मुख्य आधार ही विधिक दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं रखता । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/310

शान्ति बाई आयु 60 साल पत्नी रामकुंवार जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारॉ तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाबू लाल आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क)।
2. नन्दकिशोर आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
3. पन्नी बेवा रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
4. देव्या आत्मज सावला जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
5. मथरी पुत्री सावला जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा (नाम तर्क) ।
6. गीता बाई पत्नी कैलाश चन्द जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 117/दावा/2009

शान्ति बाई आयु 60 साल पत्नी रामकुंवार जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारॉ तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

———वादी

बनाम

1. बाबू लाल आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
2. नन्दकिशोर आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
3. पन्नी बेवा रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
4. देव्या आत्मज सावला जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
5. मथरी पुत्री सावला जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
6. गीता बाई पत्नी कैलाश चन्द जाति मीणा निवासी ग्राम खडीबारा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.09.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री बृजमोहन गौतम एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कुलदीप गौड के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा